

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या - 74/2016

1. बुटा सिंह पुत्र दान सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़कियां (चक 36 एम ओ डी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
- 1/1. बलवंत कौर पत्नी स्व. बुटा सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़किया (चक 36 एम ओ डी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- 1/2. बेअन्त सिंह पुत्र स्व. बुटा सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़किया (चक 36 एम ओ डी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- 1/3. मनजीत कौर पुत्री स्व. बुटा सिंह पत्नि प्रविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 3 ई छोटी तहसील व जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. सोहन सिंह पुत्र दान सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़कियां (चक 36 एम ओ डी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सन्दीप सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़कियां (चक 36 एम.ओ.डी.) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. मनप्रीत कौर पुत्री मोहन सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़कियां (चक 36 एम.ओ. डी.) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सुखविन्द्र कौर पत्नि मोहन सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़कियां (चक 36 एम ओ डी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुरुसरमोडिया जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर शाखा गुरुसरमोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
7. एमजीबी ग्रामीण सूरवाली जरिये शाखा प्रबन्धक एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. सुखमन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एमओडी खोथावाली तहसील पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :-

21/04/2025

वादीगण की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

(क). प्रतिवादी संख्या 8 सुखमन्द्रसिंह को - चक 37 एमओड़ी के प.न. 41/261 (2) किला नं. 13, 14, 15/0.139, 16/0.081 उतर दिशा, 17/0.146 उतर दिशा, 18/0.146 उतर दिशा की कुल 1.018 हैक्. नहरी भुमि प्राप्त हुई है जो उसे खाता विभाजन में दी जावे।

(ख). वादी संख्या 1/1 बलवन्तकौर, 1/2 बेअन्तसिंह, 1/3 मनजीतकौर को ब.हि.ब. - चक 37 एमओड़ी के प.न. 41/261 (2) किला नंबर 16/0.058, 17/0.107, 18/0.107, 22/1/0.137 (0.015 हैक्. खाला), 23/0.228 (0.025 खाला), 24/0.228 (0.025 खाला), 25/0.125 (0.014 खाला) व प.न. 41/266 (36) किला नं. 8/1/0.051, 9/0.240, 10/0.211 की कुल 1.601 हैक्. नहरी मय गै.मु. खाला भूमि प्राप्त हुई है जो उन्हें खाता विभाजन में दी जावे।

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 सोहनसिंह को- चक 37 एमओड़ी के प.न. 41 / 266 (36) कि. नं. 9/0.013, 10/0.012, 11, 12 की कुल 0.531 हैक्. नहरी भुमि प्राप्त हुई है जो उसे खाता विभाजन में दी जावे।

(घ). अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय हनुमानगढ़ के आदेश से दिनांक 11.01.2024 को स्वीकृतशुद्धा खाला की रिपोर्ट के आधार पर चक 37 एमओड़ी के प.न. 41/261 के किला नं. 1, 9, 13, 17, 18, 25 में दर्ज कुतरी जलमार्ग (खाला) को राजस्व रिकार्ड से कल्मजन किया जाकर इसी प.न. 41/261 के किला नं. 21 ता 25 के प्रत्येक बीघा में 0.025 हैक्टयर स्वीकृतशुद्धा खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एमएम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

